

Add. Secy

आरंभ (अ) कति कुमल

बिहार सरकार
वित्त विभाग



अधिसूचना



वि०, पटना, दिनांक

344

515/105
24/1/19

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

478/1-3
24-1-19

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ 1-(1) यह नियमावली बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य, में होगा।
(3) यह तुरंत वृत्त होगी।

385/105
25/01/19

- बिहार पेंशन नियमावली, 1950 का नियम-27 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
"27-नियम-43(घ) के अधीन मामलों को छोड़कर, पेंशन में उपदान शामिल।"

JDE

473/105
01/02/19

- बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 के खंड(ग) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड(घ) जोड़ा जाएगा:-
"(घ)-यदि सेवा निवृत्ति की तिथि को सरकारी सेवक के विस्तृत विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो, उपदान की पूर्ण राशि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही के अन्तिम निष्कर्ष एवं तदनुसार आदेश निर्गत होने तक रोक रखी जा सकेगी:

310
24/1/19

परन्तु जा बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(i) (ii) एवं (v) में वर्णित लघु दंड अधिरोपित करने हेतु नियम-19 के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है, वहाँ सरकारी सेवक व उपदान का भुगतान किया जा सकेगा।"

334
25/01/19

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

.....2

505/105
01/02/19

09/01/19


163/105
01/02/19

01/02/19

01/02/19

343


शापांक- बि०-27पे०को०-47/2018 नं० पटना, दिनांक- ३१-१-१९
प्रतिलिपि:-सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार,
बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार
पदाधिकारी/ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)
M.B
३१-१-१९

विद्युत सुरक्षा उद्योग विभाग


जाप संख्या: ६९३ पत्रा, दिनांक: २९.०१.१९
उसा/उद्योग (विपिच) १७/२०१६
प्रतिलिपि: उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय/ निदेशक,
तटनीची विकास निदेशालय/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण
निदेशालय/ निदेशक, दस्तकिया एवं रेशम निदेशालय/
अपर सचिव प्रभारी प्रशाखा ५ (खा) एवं उसा)
(उद्योग विभाग, बिहार, पत्रा सं सूचना सं प्रेषित)

12


सुरक्षा के अपर सचिव

दस्तकिया एवं रेशम निदेशालय -
उद्योग विभाग बिहार पटना /

जाप संख्या: 491 दिनांक: 18.02.19
प्रतिलिपि: - सभी निदेशक एवं उपपदाधिकारी, दस्तकिया एवं रेशम निदेशालय,
बिहार पटना के कोषागार एवं भावरपर- कोषागार हेतु प्रेषित/बाई० पी०
मैनेजर उद्योग विभाग पटना को निर्माणीय वेवदाई हेतु
अपलोड हेतु प्रेषित।


18.02.19
अपर- निदेशक (सब)